



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244]
No. 244]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 1993/अषाढ़ 23, 1915
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 1993/ASADHA 23, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1993

सांकांनि० 512(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम, 1993 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम, 1993

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम 1993 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपादेयता :—

ये अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) की दफा (क) के अन्तर्गत आने वाले सभी पदों पर लागू होंगे। इन पदों को आगामी विनियमों में केवल “पद” कहा गया है।

3. परिभाषाएं :—

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अर्पेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है।

- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो अधिनियम द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत पदों का चयन करने के लिए नियुक्त किया गया है।
- (ग) "मंडल", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" और विभाग प्रमुख से क्रमशः वही अभिप्रेत है जो अधिनियम में दिया है।
- (घ) "सीधी भर्ती" से नियुक्त किये गये व्यक्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी पद के लिए सीधी भर्ती हेतु परीक्षा या साक्षात्कार अथवा दोनों के आधार पर नियुक्त किया गया है तथा इसमें वह व्यक्ति भी है जो पहले से ही मंडल की सेवा में है और जो सीधी भर्ती हेतु परीक्षा या साक्षात्कार अथवा दोनों के आधार पर नियुक्त हुआ है।
- (च) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- (छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" से वही अभिप्रेत है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 की दफा (24) और (25) के अन्तर्गत दिया गया है।
- (ज) "चयन पद" से वह पद अभिप्रेत है जिसके लिए चयन योग्यता के आधार पर हुआ है।
- (झ) "चयन समिति" से वह समिति अभिप्रेत है जो विनियम 11 के अन्तर्गत एक अभ्यर्थी को स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती के द्वारा किसी पद पर नियुक्त करने के लिए गठित की गई है।
- (ट) "सदृश पदों" से वह पद अभिप्रेत है जिसके सेवा एवं कर्त्तव्यों का स्तर तथा वेतन सीमाएं उस पद के समतुल्य हैं जिसके लिए चयन किया गया है।
- (ठ) कर्मचारी परिवीक्षा में है। इसका यह अर्थ है कि जिस अभ्यर्थी को इस विनियमावली के अन्तर्गत परखने के लिए रखा गया है उसके परिवीक्षा काल के सफलतापूर्वक पूर्ण होने का आदेश अभी उचित प्राधिकारी ने नहीं किया है।

4. नियुक्ति :—

पदों पर नियुक्ति इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। नियुक्तियां या तो कर्मचारियों की पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण या सीधी भर्ती द्वारा की जाएंगी।

5. भर्ती की विधि :—पदों पर नियुक्ति से संबंधित भर्ती की विधि आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण के बारे में योग्यता, आवश्यक और/अथवा वांछित न्यूनतम अनुभव की अपेक्षाओं, प्रवरण पदों के रूप में पदों का वर्गीकरण तथा निर्दिष्ट

पदों की भर्ती से सम्बन्धित अन्य मामले अनुसूची के अनुसार (निर्धारित) होंगे परन्तु ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित प्रकार से छूट दी जा सकती है।

- (1) जहां निर्धारित न्यूनतम अनुभव 10 वर्ष या उससे अधिक है वहां 5 वर्ष और अगर निर्धारित न्यूनतम अनुभव 5 से 9 वर्ष के मध्य है तो 3 वर्ष की छूट केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
- (2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप छूट दी जाएगी।

परन्तु अगर कोई अभ्यर्थी अन्यथा उपयुक्त और अधिक योग्य हुआ तो निश्चित की गई शैक्षिक और अन्य योग्यताओं में, उचित और पर्याप्त कारण होने पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा छूट दी जा सकेगी।

6. परिवीक्षा :—

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो अनुसूची के कालम-2 में विनिर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्त किया जाएगा तो चाहे वह सीधी भर्ती से हो या प्रोन्नति या स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति से हो, उप-विनियम (2) और विनियम (8) का उप-विनियम (3) के प्रावधानों को ध्यान में रखकर 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि में रहेगा।
- (2) नियोजक प्राधिकारी अगर चाहें तो परिवीक्षा अवधि को निश्चित समय तक बढ़ा सकते हैं किन्तु यह बढ़ाई गई अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसका यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि अगर कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय या विधि कार्यवाही अनिर्णीत है तो इसे और बढ़ाया नहीं जा सकेगा। अवधि निर्धारित परिवीक्षा की मूल अवधि 2 वर्षों से।

7. पुष्टीकरण :

- (1) जब कोई व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में सफलतापूर्वक कार्य करके नियोजक प्राधिकारी को संतुष्ट करेगा तो उसे वे इस विषय में अपनी सहमति से अवगत कराएंगे। यदि वह व्यक्ति मंडल की सेवा में पहले से ही किसी निम्न पद पर पक्का नहीं है तो वह विभाग प्रमुख के पद पर पक्का कर दिया जाएगा।
- (2) जब तक कोई विभाग प्रमुख अपने पद पर पक्का नहीं होता है या उसके बारे में नियोजक प्राधिकारी ने घोषित नहीं किया है कि उसने परिवीक्षा काल सतोषप्रद रूप से पूरा कर लिया है या विनियम-8 के अधीन सेवा मुक्त अथवा पदावनत नहीं कर दिया है, तो वह परिवीक्षा अवधि में कार्य करने वाले स्तर का ही कर्मचारी माना जाएगा।

8. परिवीक्षाधीन विभाग प्रमुख को सेवा-मुक्त या पदावनत करना :—

- (1) वह व्यक्ति जो परिवीक्षा अवधि में है तथा जिसके पास किसी पद के लिए धारणाधिकार नहीं है, उसे उसकी कार्यक्षमता अपने आचरण के आधार पर कभी भी हटाया जा सकेगा अगर वह आगे सेवा में रखने के लिए योग्य नहीं समझा गया है। -
- (2) वह विभाग प्रमुख जिसके पास किसी निम्न पद पर धारणाधिकार है तक वह परिवीक्षा अवधि में है तो उसे उप-विनियम (1) के अन्तर्गत बताई गई परिस्थितियों में कभी भी पदावनत किया जा सकता है।
- (3) वह विभाग प्रमुख जो परिवीक्षा अवधि में है तथा जिसे पुष्टीकरण के योग्य नहीं समझा गया है अथवा नियुक्ता के अनुसार जिसने परिवीक्षा अवधि में, जो विनियम 6 में वर्णित है, संतोषजनक कार्य नहीं किया है तो उसे परिवीक्षा अवधि के अन्त में उप-विनियम (1) अथवा उप-विनियम (2) के अनुसार जैसी भी स्थिति हो, सेवामुक्त या पदावनत कर दिया जाएगा।

9. सीधी भर्ती के लिए आवेदन —

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अभ्यर्थी को अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निश्चित किए गए प्ररूप में ही निश्चित तारीख से पूर्व निर्धारित विधि के अनुसार आवेदन करना होगा। अपनी आयु योग्यता अथवा अनुभव का प्रमाण भी उसे अध्यक्ष की आवश्यकता के अनुरूप प्रेषित करना होगा।

10. सीधी भर्ती के लिए योग्यता और अयोग्यताएं :—

1. विभागे प्रमुख के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित होना चाहिए :—

- (क) भारत का नागरिक अथवा
- (ख) नेपाल का नागरिक या
- (ग) भूटान का नागरिक या
- (घ) तिब्बती अथवा कोई शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 के पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया है अथवा।
- (च) भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा केन्या, उगांडा या संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पहले तंजानिका और झंझीवर) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हुआ है।

परन्तु कोटि (क) से संबंधित अभ्यर्थी अध्यक्ष की अपेक्षा के अनुसार अपनी राष्ट्रीयता का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

कोटि, ख, ग, घ, च से संबंधित व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जिसके लिए भारत सरकार ने योग्यता का प्रमाणपत्र जारी किया है।

2. कोई भी व्यक्ति पद के चयन हेतु योग्य नहीं होगा अगर :—

(क) उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है जिसका पति या पत्नी जीवित है,

(ख) उसका पहला पति या पत्नी जीवित है और उसने किसी और से विवाह भर लिया है,

परन्तु अगर नियुक्ति प्राधिकारसी सन्तुष्ट है कि ऐसा विवाह दोनों पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत आता है तथा वैसा करने के लिए अन्य कारण भी हैं तो वह अमुख व्यक्ति को इस उपनियम के लागू होने से छूट दे सकता है।

3. अभ्यर्थी को चयन प्राधिकारी को सन्तुष्ट करना होगा कि उसके चरित्र तथा पूर्ववृत्त ऐसे हैं जो उसे किसी पद पर चयन के लिए उपयुक्त ठहराते हैं। कोई भी अभ्यर्थी जिसे न्यायालय ने किसी नैतिक रूप से चरित्र भ्रष्टता में लिप्त रहने के लिए अपराधी ठहराया है या दिवालिया घोषित कर दिया है तो वह नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा।

4. अगर यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभ्यर्थी विनियम की सभी या किन्हीं अन्य अपेक्षाओं को पूरी करता है या नहीं तो इसका निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

5. जब किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए कोई नियुक्ति की जाती है और इस विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप अभ्यर्थी प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है तो केन्द्रीय सरकार अगर चाहे तो उप-विनियम (1) की शर्तों में संशोधन कर सकती है या उन्हें हटा सकती है।

6. अभ्यर्थी का स्वास्थ्य :—अभ्यर्थी शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें ऐसी कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जिस उसके द्वारा विभाग प्रमुख के रूप में कार्य करने में बाधा पहुंचे से अभ्यर्थी को अगर नियुक्ता अधिकारी द्वारा निश्चित किए स्वास्थ्य परीक्षण में योग्य नहीं पाया गया तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी परन्तु अगर अभ्यर्थी पहले से ही बोर्ड या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन में सेवारत है तो उसे यह स्वास्थ्य परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. चयन समिति :—

1. विभाग प्रमुखों के पदों के चयन के लिए नियुक्ता प्राधिकारी को परामर्श देने तथा सहायता के लिए एक चयन समिति गठित की जा सकती है।

2. चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे।

- (1) भारत सरकार, जलभूतल परिवहन मंत्रालय के अपर/संयुक्त सचिव
- (2) अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास
- (3) केन्द्रीय सरकार के द्वारा नामित किया गया अन्य कोई ऐसा अधिकारी जिसे विषय अनुभव हो।

12. भर्ती का प्रकार :—

- (क) जब कोई विभाग प्रमुख का पद रिक्त है तथा उसे प्रोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरा जाना है तो अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारियों को उन सभी अधिकारियों के नाम, आयु, योग्यता, अनुभव तथा अन्य संबंधित विवरण अग्रेषित करेंगे जो इस पद के लिए प्रोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के योग्य हैं तथा जब-जब उन्हें प्रतिनियुक्ति के लिए भी अनुसूची दी जाएगी तो अपनी सिफारिशें भी साथ में प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष अगर आवश्यक समझेंगे अथवा उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा निदेश दिया जाएगा तो वे अन्य बड़े पत्तन न्यासों, केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों/स्वायत्तशासी निकाय से भी आवेदन पत्र मंगा सकते हैं।
- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त सूचनाएं प्राप्त होने पर या तो :—
 - (1) प्रोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नामित किए गए अभ्यर्थियों में से किसी एक व्यक्ति को नियुक्ति करें या
 - (2) ऐसे अभ्यर्थियों को विनियम-11 के अनुसार बनाई गई चयन समिति को इस निदेश के साथ प्रस्तुत करें कि “इस मामले की संवीक्षा (छान-बीन) करके सिफारिश करें” और प्रोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ऐसी सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करें।
 - (3) यह निदेश दें कि इन विनियमों में बताई रिति से सीधी भर्ती द्वारा रिक्त पद को भर लिया जाए।
 - (2) सीधी भर्ती द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर ही की जाएगी। परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे किसी खास मामले में कारणों का उल्लेख करके इस सिफारिश को स्वीकार न करें।

13. पदों का विपज्ञान :—

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का विज्ञापन करना होगा तथा विज्ञापन की एक प्रतिलिपि स्थानीय रोजगार कार्यालय को भेजना होगी।

14. सिफारिश लाना आयोग्यता होगी :—

विभाग प्रमुख के पदों पर नियुक्ति करने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने अथवा उसके रिश्तेदारों या मित्रों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिफारिश लाने की कोशिश की तो वह विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्ति होने के अयोग्य हो जायेगा।

15. सत्य गोपन :—

अगर यह पता लगा कि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर असत्य विवरण दिया है अथवा सत्य विवरण छुपाया है और उस सत्य विवरण के आधार पर वह न्यास मंडल की सेवा में योग्य नहीं है तो न्यास मंडल की सेवा प्राप्त करने का उसका अधिकार जाता रहेगा और अगर उसकी नियुक्ति हो गई है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

16. सीधी भर्ती के लिए वर्तमान कर्मचारियों की योग्यता :—

जब सीधी भर्ती के द्वारा भरा जाने वाला पद विज्ञप्ति किया जाता है तो वर्तमान कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि उनके पास निर्धारित योग्यता और अनुभव हो।

17. नियुक्ति आदेशों का निरस्तीकरण :—

अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश निम्नलिखित परिस्थितियों में रद्द कर दिया समझा जाएगा :—

1. अगर वह नियुक्ति आदेश में दी गई तारीख तक पदभार नहीं ग्रहण करता है।
2. अगर नियुक्ति आदेश में तारीख का उल्लेख नहीं दिन है तो नियुक्ति आदेश के जारी होने के 30 के अन्दर पदभार नहीं ग्रहण करता है।
3. अगर नियुक्ति प्राधिकारी ने अतिरिक्त अवधि का अनुमोदन किया है तो अतिरिक्त अवधि की समाप्ति के पहले कार्यभार नहीं ग्रहण करता है।

18. साक्षात्कारों में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता :—

जिन अभ्यर्थियों को चयन के सम्बन्ध में साक्षात्कार या लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो वे अपने पदालुब्ध स्थान/आवास से साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के स्थान तक आने और जाने के लिए प्रथम श्रेणी का रेल किराया पाने के हकदार होंगे, अगर वास्तविक व्यय प्रथम श्रेणी के रेल किराया से कम होगा तो वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा।

19. अर्थनिर्णय :—

अगर इन विनियमों के या भविष्य में संशोधित किए गए विनियमों के भाष्य का प्रश्न उपस्थित होता है अथवा इन विनियमों में शामिल नहीं किए गये किसी मामले से सम्बन्धित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो उसका निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

20. निरसन और बचाव :—

इन विनियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पहले चल रहे सभी विनियम, प्रक्रियाएँ, व्यवहार और प्रथाएँ रद्द की जाती हैं।

परन्तु निरक्षित विनियमों, प्रक्रियाओं, व्यवहारों और प्रथाओं के अन्तर्गत अब तक किये गये आदेश अथवा कार्य-वाही को इन विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया माना जाएगा।

अनुसूची

क्रम सं.	पद	श्रेणी	वेतनमान	संख्या	सौघो भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सौघो भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य प्रकार की योग्यताएँ
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य प्रबन्धक (संचालन)	1	6000-175-7225	1	45 वर्ष	<p>आवश्यक :</p> <p>(1) सरकार मान्य संस्था से यांत्रिक विद्युत/इलेक्ट्रानिक/सम्पुट्टिक इंजीनियरी में स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी बड़े प्रतिष्ठित यूनिट में प्रबंधकीय/पर्यवेक्षकीय कार्य का 15 साल का अनुभव।</p> <p>(3) कारगो के लादान उतरान/यातायात प्रचालन एवं रखरखाव की यांत्रिक पद्धति का 8 साल का अनुभव।</p> <p>वांछनीय :</p> <p>किसी सरकार मान्य संस्था से प्रबन्धक में स्नातक उपाधि या डिप्लोमा।</p>

क्या आयु शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ जो सौघो भर्ती वालों के लिए निश्चित की गई हैं, वे पदोन्नति एवं अंतरित व्यक्तियों के लिए भी लागू होंगी

भर्ती की विधि और रिक्तियों का प्रतिशत जिन्हें भर्ती की विभिन्न विधियों से भरा जाना है

पदोन्नति के मामले में अथवा अन्तरण संवर्ग जिनसे पदोन्नति या अंतरण किया जाएगा

परिवर्द्धा के लिए निश्चित अवधि

8	9	10	11
योग्यता--हां आयु--नहीं	पदोन्नति -- प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण दोनों से न हो पाने पर सौघो भर्ती द्वारा।	पदोन्नति-- वह व्यक्ति जो 3 साल से वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है। ऐसा न होने पर वह व्यक्ति जो 5 वर्ष से वरिष्ठ प्रबन्धक प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : वह व्यक्ति जो तुल्यरूप पद पर कार्यरत है अथवा जो वरिष्ठ प्रबन्धक के समतुल्य पद पर 3 वर्ष से कार्यरत है। ऐसा न होने पर जो प्रबन्धक के समतुल्य पद पर 5 साल से कार्यरत है। (प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष होगी।	2 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
2.	हारबर मास्टर	1	6000-175-7225	1	45 वर्ष	आवश्यक : (1) विदेश जाने वाले जहाजों के अधि- पति के रूप में अत-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया सशक्तता प्रमाणपत्र अथवा इसके समतुल्य प्रमाण- पत्र। (2) सागरगामी पोतों के पायलट नौसंचालन का 15 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : सरकार मान्य संस्था से प्रबन्धन में स्नातक उपाधि/डिप्लोमा।

8	9	10	11
योग्यता--हां आयु--नहीं	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/ स्थानान्तरण अगर दोनों नहीं तो सीधे भर्ती।	पदोन्नति : वह व्यक्ति जो 3 साल से वरिष्ठ गोदा अधि- कारा है वैसा न होने पर 5 साल से गोदा अधिकारी है। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : वह व्यक्ति जो सदृश पद पर है या वरिष्ठ गोदा अधिकारी के सदृश पद पर 3 साल से है य. गोदा के अधिकारी के सदृश पद पर 5 साल से कार्यरत है। (प्रतिनियुक्ति का सामान्य अवधि तीन वर्ष होगी)	2 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
3.	मुख्य प्रबन्धक (पत्तन योजना और विकास)	1	6000-175-7225	1	45 वर्ष	आवश्यक : (1) सरकार मान्य संस्था से सिविल इंजीनियरी में स्नातक उपाधि। (2) किसी प्रतिष्ठित यूनिट के इंजीनियरी विभाग में पर्यवेक्षकीय प्रवकीय कार्य का 15 साल का अनुभव। (3) पत्तन/बंदरगाह परियोजनाओं का संरचना/अनुरक्षण कार्य का 8 साल का अनुभव। वांछनीय : सरकार मान्य संस्था से प्रबन्धन में स्नातक उपाधि/डिप्लोमा।

8	9	10	11
योग्यता : हां आयु : नहीं	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थाना- न्तरण/स्थानान्तरण इन दोनों के न होने पर सीधे भर्ती द्वारा।	पदोन्नति :-- वह व्यक्ति जो 3 साल से वरिष्ठ प्रबन्धक है। ऐसा न होने पर वह व्यक्ति जो 5 साल से वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक है। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: वह व्यक्ति जो तुल्यरूप पद पर है। ऐसा न होने पर वरिष्ठ प्रबन्धक के सदृश पद पर 3 साल से कार्यरत है और प्रबन्धक के सदृश पद पर होने पर 5 साल से कार्यरत है। (प्रतिनियुक्ति का सामान्य अवधि तीन वर्ष होगी)	2 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7
4. मुख्य प्रबन्धक: (वित्त)	1	6000-175-7225	1	45 वर्ष	आवश्यक:	

(1) सरकार मान्य संस्था से अधिकृत लेखाकार अथवा जागत लेखाकार

(2) किसी प्रतिष्ठित यूनिट के वित्त विभाग में 15 वर्ष का पर्यवेक्षीय/प्रबन्धकीय अनुभव।

(3) कम्युटर विज्ञान बहीखाता पद्धति में 8 साल का अनुभव

वांछनीय:

सरकार मान्य संस्था से प्रबन्धन में स्नातक उपाधि/डिप्लोमा

8	9	10	11
योग्यता :	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति	पदोन्नति :-	2 साल
विभागीय अभ्यर्थियों को कम से कम अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा पास होना चाहिए। तथा भारत सरकार के संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारी	पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण तथा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	वह व्यक्ति जो 3 साल से वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर है। ऐसा न होने पर वह जो 5 साल से प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है।	
आय : नहीं		स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :	
		वह व्यक्ति जो तुल्य रूप पद पर कार्यरत है या वह जो वरिष्ठ प्रबन्धक के सदृश पद पर 3 साल से कार्यरत है अथवा प्रबन्धक के सदृश पद पर 5 साल से कार्यरत है।	
		(प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष होगी)।	

1	2	3	4	5	6	7
5. वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन) एवं सचिव	1	5150-175-6900	1	45 वर्ष	प्रावश्यक :	<p>(1) सरकार मान्य संस्था/विश्वविद्यालय से कामिक प्रबन्धन और औद्योगिक संबंध में विशेषज्ञता के साथ व्यापारिक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा कामिक प्रबन्ध और औद्योगिक संबंध में अथवा समाज कल्याण में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा अथवा श्रम नियमों में विशेषज्ञता के साथ विधि में स्नातक उपाधि।</p> <p>(2) किसी बड़ी प्रतिष्ठित यूनिट के कामिक प्रबन्धन, औद्योगिक संबंधों, समाज कल्याण, मानव संसाधन विकास एवं सामान्य प्रशासन में 15 साल का प्रबन्धकीय/पर्यवेक्षीय अनुभव।</p> <p>(3) बोर्ड को बैठके करने प्रशिक्षण अध्ययन गोष्ठी करने और श्रमिक संगठनों के साथ संधि वार्ता करने का अनुभव कंप्यूटर्स कृत कार्यालय परिसर की व्यवस्थित करने का अनुभव।</p>
वांछनीय						मराठी का ज्ञान।

8	9	10	11
योग्यता : हां आए नहीं	पदोन्नति ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति वह व्यक्ति जो कम से कम 3 साल से प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण वह व्यक्ति जो समतुल्य पद पर अथवा प्रबन्धक के पद के सदृश पद पर 3 साल से कार्यरत है। (प्रतिनियुक्ति को सामान्य अवधि तीन वर्ष होगी।)	2 वर्ष

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 1993

G.S.R. 512(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations, 1993 by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

THE JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

(Recruitment of Heads of Department)

REGULATION, 1993

In exercise of the powers conferred by Section 28, read with Section 124, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal Nehru hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short Title of Commencement :—(1) These regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Regulations 1993.
- (2) They shall come into effect from the date of publication in the Official Gazette.
2. Application :—They shall apply to all posts covered by clause (a) of sub section (1) of Section 24 of the Act hereinafter referred to "a post".
3. Definition :—In these regulations, unless the context otherwise requires :
 - (1) "ACT" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);
 - (2) "appointing authority" means the authority, empowered under the Act to make appointment to a post to which these regulations apply.
 - (3) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of Department" have the meanings respectively assigned to them under the Act;
 - (4) "direct recruit" means a person recruited upon application for direct recruitment to a post on the basis of an examination or interview, or both, and includes a person already in the Board's service who may, upon application for direct recruitment, be allowed to appear for such examination or interview, or both, and is selected;

1569 GI/93—2.

- (5) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.
- (6) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meaning assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India;
- (7) "Selection post" means a post to which appointment is to be made on the basis of merit;
- (8) "Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 11 for the purpose of making recommendation for transfer/deputation promotion or direct recruitment of a candidate to a post;
- (9) "analogous post" means a post of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made;
- (10) "Employees on probation" means the incumbent appointed to the post on probation under these regulations and in whose case the successful completion of probation period has not yet been ordered by competent authority.

4. Appointment :—All appointments to a post shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointments may be made either by promotion, transfer or deputation of employees or by direct recruitment.

5. Method of Recruitment :—The method of recruitment, the qualification in respect of age, education, training, requirements of minimum experience, essential and/or desirable (Classification of posts as selection posts) and other matters connected with the appointment to a post shall be as shown in the Schedule;

Provided that the prescribed upper age limit may be released :

- (1) by the Central Government upto 5 years where the minimum experience prescribed is 10 years or more and upto 3 years where the minimum experience prescribed is 5 to 9 years.
- (2) In the case of a candidate belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, in accordance with such orders as the Central Govt. may issue from time to time for appointment to services or posts under it in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Provided further that the prescribed educational and other qualification may, for good and sufficient reasons, be relaxed by the Central Govt. if a candidate is otherwise found suitable and is qualified.

6. Probation.—(1) Every person appointed to a post specified in column 2 of the Schedule, whether by direct recruitment or by promotion or transfer/deputation, shall,

subject to the provisions of sub-regulation (2) and Sub Regulation 3 of Regulation be on probation for a period of two years.

- (2) The period of probation may, if the appointing authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extension shall not, save where any extension is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed the initial period of the probation prescribed.

7. Confirmation.—(1) When a person appointed on probation to a post has completed his probation to the satisfaction of the appointing authority, the appointing authority shall convey its approval to that effect. He shall also be eligible for confirmation in that post if he is not confirmed in a lower post earlier held by him under the Board.

- (2) Until a head of department on probation is confirmed/declared to have completed probation to the satisfaction of the appointing authority under this regulation or its discharged or reverted under regulation 8, he shall continue to have the status of an employee on probation.

8. Discharge or Reversion of Head of Department on probation.—(1) A person appointed on probation to a post who has no lien on any post shall be liable to be discharged from service at any time if on the basis of his performance or conduct during the period of probation, he is considered unfit for further retention in service.

- (2) A head of department on probation who holds a lien on a post may be reverted at any time in the circumstances specified in sub-regulation (1).

- (3) A head of department on probation who is not considered suitable for confirmation or who has not completed probation to the satisfaction of the appointing authority at the end of the period of probation prescribed in regulation 6, shall be discharged or reverted in accordance with sub-regulation (1) or sub-regulation (2) as the case may be.

9. Application for Direct Recruitment.—A candidate for appointment by direct recruitment shall apply before such date in such form and in such manner as may from time to time be prescribed by the Chairman. He shall also submit such proof of his age, qualifications or experience, as the Chairman may require.

10. Eligibility and Disqualification for Direct Recruitment.—(1) In order to be eligible for direct recruitment to a post a candidate must be—

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or

- (d) a Tibetan or refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality, as the Chairman may, from time to time require :

Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India:

- (2) No person —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living, or

- (b) who having a spouse alive, has entered into or contracted a marriage with any other person shall be eligible for appointment to a post.

Provided that the appointing authority may, if satisfied, that such marriage is permissible under the Personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this Sub-regulation.

- (3) A candidate must satisfy the appointing authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to a post. No candidate who has been convicted by a Court of Law for any offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment.

- (4) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any other requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Government.

- (5) The Central Government, may modify or waive any of the requirements of sub-regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of the regulations.

- (6) Physical fitness of candidate : A candidate shall be in good mental and bodily health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as

a head of department. A candidate who, after such medical examination as the appointing authority may specify, is found not to satisfy the requirements will not be appointed provided that a candidate already in the service of the Board of any other Central Govt. Organisation shall not be required to undergo such medical examination.

11. Selection Committee.—(1) A Selection Committee may be constituted to advise and assist the appointing authority in the matter of making selection of candidates for appointment to a post.

(2) The Selection Committee, if constituted shall be composed of the following persons namely,

- (a) Additional Joint Secretary to the Govt. of India Ministry of Surface Transport,
- (b) Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust.
- (c) Any other person having wide experience as may be nominated by the Central Government.

12. Manner of Recruitment.—(1)(a) When a post of Head of department falls vacant and is to be filled by promotion|transfer|deputation, the Chairman shall forward to the appointing authority names, age, qualification, experience and other relevant particulars of all candidates who are eligible for promotion|transfer|deputation to the post, together with his recommendations, whenever the schedule provide for deputation also, the Chairman may if considered necessary or if directed by the Central Govt. call for application from eligible candidates from other Major Port Trusts|Central|State Govt. Public Sector Units|Autonomous Bodies.

(b) The appointing authority may, on receipt of such information either —

- (1) make an appointment by promotion|transfer|deputation from amongst the candidates so sponsored, or
 - (2) refer the candidates to the selection Committee referred to in regulation 11 with directions to scrutinise the case and make appropriate recommendation and then make an appointment by promotion|transfer|deputation on the such recommendation, or
 - (3) direct that the vacancy be filled by direct recruitment in the manner laid down in these regulations.
- (2) All appointment by direct recruitment shall be made by the appointing authority on the

recommendations of the Selection Committee, provided that it shall be open to the appointing authority, for reasons, to be recorded in writing, not to accept such recommendation in any particular case.

13. Advertisement of Posts.—A vacancy intended to be filled by direct recruitment shall be advertised and a copy of the advertisement shall be sent to the local Employment Exchange.

14. Canvassing Support shall be Disqualification.—Any endeavour on the part of a person, his relatives or friends to canvass support by direct or indirect method for his application for appointment to a post shall disqualify him for the appointment.

15. Suppression of Facts.—Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or to have suppressed material information of a character which, if known would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a post is liable to be disqualified and, if appointed, to be discharged from service.

16. Eligibility of Existing Employees for Direct Recruitment. When a post required to be filled by direct recruitment is advertised, employees already in service may also apply, provided that they possess the prescribed qualifications and experience for the post.

17. Cancellation of Appointment Order.—In a candidate selected for direct appointment to a post fails to join duty within the date mentioned in the appointment order and where on such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the appointment order, or within such extended period as the appointing authority may fix, the appointment order shall be deemed to have been cancelled.

18. Payment of Travelling Allowance for Attending Interviews.—All candidates called for interview and/or written test in connection with selection to a post shall be entitled to reimbursement of travel expenses from the place of posting|residence to the venue of interview|written test and back by rail in first class or the actual expenditure which is less.

19. Interpretation.—If any question arises as to the interpretation of these regulations or in respect of any matter not hereinabove or subsequently provided for, the same shall be decided by the Central Government.

20. Repeal and Savings.—All regulations, procedure, practices and customs corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the regulations, procedures, practices and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

SCHEDULE

Sl. No.	Designation	Class	Scale of pay	No. of posts	Age limit for direct recruits	Educational Qualifications and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1.	Chief Manager (Operation)	I	6000-75-7225	1	45 years	<p>Essential :</p> <p>(1) Degree in Mechanical/ Electrical/Electronics/Marine Engg. from an Institute recognised by a Govt.</p> <p>(2) 15 years Managerial/ Executive experience of large reputed Unit.</p> <p>(3) 8 years experience in operation and maintenance of mechanised cargo handling, transportation system.</p> <p>Desirable :</p> <p>Degree/Diploma in Mgt. from an Institute recognised by a Govt.</p>

Whether age, Educational and other qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees and transferees	Method of recruitment and percentage of vacancies to be filled by different methods of recruitment	In case of promotion or transfer cadres from which promotion or transfer shall be made.	Prescribed period of probation.
8	9	10	11
<p>Qualification : Yes</p> <p>Age : No</p>	Promotion/transfer on deputation/transfer failing both by direct recruitment.	<p>Promotion :</p> <p>A person holding a post of Sr. Manager for a period of 3 years failing which a person holding a post of Sr. Manager/Manager for a period of 5 years.</p> <p>Transfer/transfer on deputation :</p> <p>A person holding analogous post or a post analogous to Sr. Manager for a period of 3 years failing which a post analogous to Sr. Mgr/Mgr for a period of 5 years.</p> <p>(Normal deputation period will be 3 years.)</p>	2 years

1	2	3	4	5	6	7
2. Harbour Master	1	6000-175-7225	1	45 years	Essential : (1) A certificate of Competency as Master of Foreign Going Ships issued by MOST or equivalent certificate. (2) 15 years experience in pilotage/navigation of seagoing vessels. Desirable : Degree /Diploma in Management from an Institute recognised by a Govt.	
8	9	10	11			
Qualification : Yes Age : No	Promotion/transfer on deputation/transfer failing both by direct recruitment.	Promotion : A person holding a post of Sr. Dock Master for a period of 3 years failing which Dock Master for a period of 5 years. Transfer/Transfer on deputation : A person holding analogous post or a post analogous to Sr. Dock Master for a period of 3 years or a post analogous to Dock Master for a period of 5 years. (Normal deputation period will be three years.)	2 years			
1	2	3	4	5	6	7
3. Chief Manager (PP&D)	I	6000-175-7225	1	45 years	Essential : (1) Degree in Civil Engg from an Institute recognised by a Govt. (2) 15 years Managerial/Executive experience in an Engg dept of a large reputed Unit. (3) 8 years experience in Construction/maintenance of Port/Harbour Projects. Desirable : Degree/Diploma in Mgt. from an Institute recognised by a Govt.	

3	9	10	11
Qualification : Yes Age : No.	Promotion/transfer on deputation/transfer failing both by direct recruitment.	Promotion : A person holding a post of Sr. Manager for a period of 3 years, failing which Manager, Sr. Manager for a period of 5 years. Transfer/transfer on deputation : A person holding analogous post or a post analogous to Sr. Manager for a period of 3 years or a post analogous to Manager/Sr. Manager for a period of 5 years. (Normal deputation period will be 3 years.)	2 years

1	2	3	4	5	6	7
4. Chief Manager (Finance)	1	6000-175-7325	1	45 years	Essential: (1) Chartered Accountant or Cost Accountant from an Institute recognised by a Govt. (2) 15 years' Managerial/Execu- tive experience in a Finance Dept. of a large reputed Unit. (3) 8 years experience in computerised Financial Accounting System. Desirable: Degree/Diploma in Manage- ment from an Institute recog- nised by a Govt.	-

8	9	10	11
Qualification : Relaxable to SAS for departmental candidates and Officers of organised Accounts Services of Govt. of India.	Promotion/Transfer on deputation/transfer failing both by direct recruit- ment.	Promotion : A person holding a post of Sr. Manager for a period of 3 years, failing which Manager for a period of 5 years. Transfer/transfer on deputation : A person holding analogous post or a post analogous to Sr. Manager for a period of 3 years or a post analogous to Manager for a period of 5 years. (Normal deputation period will be 3 years.)	2 years

1	2	3	4	5	6	7
5. Sr. Manager (Admn.) & Secretary	I	51,50-175-6900		1	45 years.	<p>Essential:</p> <p>(1) MBA with specialisation in Personnel Management & Industrial Relations or Post-Graduate degree or diploma in Personnel Management and Industrial Relations or social welfare or Degree in law with specialisation in Labour laws from an Institution/University recognised by a Govt.</p> <p>(2) 15 years' managerial/executive experience in a large reputed Unit in the Personnel Management, Industrial Relations, Social Welfare, Human Resource Development, General Administration.</p> <p>(3) Experience in conducting Board Meetings, trainings, seminars and negotiations with Labour Unions.</p> <p>(4) Exposure to computerised Officer environment.</p> <p>Desirable:</p> <p>Knowledge of Marathi.</p>

8	9	10	11
Qualification : Yes. Age : No.	Promotion, failing which by transfer on deputation/transfer, failing both by direct recruitment.	<p>Promotion :</p> <p>A person holding a post of Manager at least for a period of 3 years.</p> <p>Transfer/Transfer on deputation:</p> <p>A person holding analogous post or a post analogous of Manager for a period of 3 years.</p> <p>(Normal deputation period will be 3 years.)</p>	2 years.

[No. PR-120/2/7/92-PE.I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.